भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **3513** जिसका उत्तर

शुक्रवार, 13 मार्च, 2026/22 फाल्गुन, 1947 (शक) को दिया जाना है

समुद्री विकास कोष

3513 श्री आलोक शर्मा :
कैप्टन बृजेश चौटा :
श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा :
श्री बिद्युत बरन महतो :
श्री अनन्त नायक :
श्री दिलीप शइकीया :
श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतराव :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे :
श्री रमेश अवस्थी :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री सुधीर गुप्ता :
श्री मनोज तिवारी :
श्री बिभु प्रसाद तराई :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषित समुद्री विकास कोष (एमडीएफ) की परिचालन स्थिति क्या है और इसकी स्थापना और शासन ढांचे की दिशा में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) एमडीएफ के अंतर्गत निर्मित कुल कोष कितना है और देश में अब तक अनुमोदित परियोजनाओं का राज्य/जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके अंतर्गत कितनी निजी निवेश राशि जुटाई गई है;

(घ) समुद्री उद्योग के किन क्षेत्रों और उप-क्षेत्रों/खंडों को एमडीएफ से लाभ हुआ है, जिनमें बंदरगाह, जहाज निर्माण, अंतर्देशीय जलमार्ग और तटीय शिपिंग शामिल हैं, इनका राज्य/जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ.) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई आकलन किया है कि एमडीएफ ने समुद्री क्षेत्र में वित्तपोषण की कमी को पाटने में किस हद तक मदद की है; और

(च) यदि हां, तो इसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री

(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): केंद्र सरकार ने समुद्री विकास निधि (एमडीएफ) के कार्यान्वयन के लिए शासी परिषद का गठन किया हैं। इसके अलावा, समुद्री विकास निधि (एमडीएफ) और ब्याज प्रोत्साहन निधि (आईआईएफ) के लिए परिचालन दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

(ख) और (ग): एमडीएफ के तहत, समुद्री परियोजनाओ के लिए दीर्घकालिक पूंजी जुटाने हेतु 20,000 करोड़ रूपये के कोष के साथ एक समुद्री निवेश निधि का सृजन किया जाएगा, जिसमें भारत सरकार की कुल कॉर्पस की 49% की प्रतिबद्धता होगी, जो 9,800 करोड़ रूपए के समकक्ष है।

(घ): दिशानिर्देशों के अनुसार, निवेश, समुद्री और संबंधित क्षेत्रों जैसे पोत निर्माण, पोत निर्माण क्लस्टर, पोत मरम्मत, पोत स्वामित्व, पत्तन विस्तार, अन्तर्देशीय जल परिवहन, तटीय पोत परिवहन, अंतरराष्ट्रीय पोत परिवहन आदि तक सीमित रहेगा।

(ड़) और (च): निधि के कार्यान्वयन के बाद, वित्तीय अंतरालों, यदि कोई हो, को कम करने के लिए निधि के प्रभाव का आकलन किया जाएगा।
